न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 5/2019/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. सीताराम उर्फ झूंथाराम पुत्र केशरा जाति कुम्हार निवासी ग्राम लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती अं.धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री शिवेन्द्र सिंह शेखावत, वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक –09.10.2019

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की पुश्तैनी कृषि भूमियां ख0नं0 424 लगायत 434 किता 11 कुल रकबा 2.34 हैक्टर वाके ग्राम लाडपुर पटवार हल्का धींगपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें प्रार्थी/आवेदक अपने हिस्से का खातेदार काबिज काश्तकार है। आवेदक का नाम सीताराम है किन्तु संहवन सें उक्त वर्णित भूमियों में सीताराम की जगह झूंथाराम अंकित हो गया तथा सीताराम पुत्र केशरा तथा झूंथाराम पुत्र केशरा एक ही व्यक्ति है इस नाम का ग्राम लाडपुर में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। आवेदक का सही नाम सीताराम पुत्र केशरा है जो आवेदक के दस्तावेजात आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र, शिक्षा संबंधित दस्तावेजात आदि में प्रार्थी का सही नाम सीताराम पुत्र केशरा अंकित है मात्र उक्त वर्णित भूमियों की खातेदारी में प्रार्थी का नाम संहवन से झूंथाराम पुत्र केशरा अंकित हो गया जिसें दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। आवेदक का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन होने सें आवेदक को राजकीय योजनाओं का लाभ लेने में काफी परेशानियां हो रही है। बैंक सें ऋण लेने हेतु राजस्व रिकॉर्ड की नकलें लेने पर उक्त गलत नाम की जानकारी हुई अतः दुरूस्ती का आवेदन पेश कना लाजमी हुआ है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि ग्राम लाडपुर तह0 दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

424 लगायत 434 किता 11 कुल रकबा 2.34 हैक्टर में प्रार्थी का नाम झूंथाराम पुत्र केशरा की जगह सही नाम सीताराम पुत्र केशरा जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना सादर प्रार्थनीय है।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। सहखातेदार गोपाल लाल कुमावत पुत्र केशरा के बयान लिये गये। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान वादी के अधिवक्ता ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में संहवन से झूंथाराम पुत्र केशरा दर्ज है जिसें दुरूस्त किया जावे तथा झूंथाराम पुत्र केशरा के स्थान पर सीताराम पुत्र केशरा दर्ज किया जावे।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार "आवेदक का नाम संलग्न दस्तावेजात आधारकार्ड, राशनकार्ड, फोटो पहचान पत्र, आदि सभी में सीताराम दर्ज है। ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त नाम की पुष्टि होती है। अतः खसरा नम्बर 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434 किता 11 कुल रकबा 2.34 हैक्टर ग्राम लाडपुर प0ह0 धींगपुर में प्रार्थी का नाम झूंथाराम के स्थान पर सीताराम किया जाना उचित है।" प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर न्यायहित में **प्रार्थी/आवेदक का आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम लाडपुर पटवार हल्का धींगपुर तहसील दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 424 लगायत 434 किता 11 कुल रकबा 2.34 हैक्टर में खातेदार प्रार्थी का नाम झूंथाराम पुत्र केशरा के स्थान पर सीताराम पुत्र केशरा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।** शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। तदनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 09.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner